



नीलामी सूचना (सं.01/2020-21)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची में स्थित पुराने निष्प्रयोजित वाहनों की नीलामी "जो है, जहाँ है" के आधार पर दिनांक 10.12.2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से उच्चतम डाकबोली के आधार पर की जाएगी।

विस्तृत नीलामी सूचना एवं शर्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं संस्थान के वेबसाइट [WWW.icarrcer.in](http://WWW.icarrcer.in) पर दिनांक 28.11.2020 से देखी जा सकती है एवं वाहनों का अवलोकन प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर दिनांक 28.11.2020 से 09.12.2020 तक की जा सकती है।

  
28.11.2020

प्र. सहायक प्रशासनिक अधिकारी




**नीलामी सूचना (सं.01/2020-21)**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची में स्थित निम्नांकित पुराने निष्प्रयोजित वाहनों की नीलामी जो है, जहाँ है के आधार पर दिनांक 10.12.2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची में उच्चतम डाकबोली के आधार पर की जायेगी।

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन प्रकार	मोडल
01.	JH01 3130	TATA BUS	2001
02.	JH 01D 9189	Bajaj make Caliber Motorcycle	2003
03.	BHV-8776	Mitshibushi make Tractor	1980
04.	-	VST make Power tiller (12 HP)	1987
05.	-	VST make Power Tiller (10 HP)	1980

नीलामी के आवश्यक शर्त निम्न प्रकार हैं:-

1. नीलामी का आधार "वाहन जो जहाँ है, जैसा है" होगा। भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में देय होगा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं किया जायेगा।
2. नीलामी के पूर्व डाकवक्ता के लिए वाहन संख्या **TATA BUS JH01 3130, Motorcycle JH 01D 9189, Tractor BHV-8776, Power tiller (12 HP) एवं Power Tiller (10 HP)** के लिए 2,000.00 (रुपये दो हजार मात्र) अग्रधन राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो **Head, ICAR-RCER, RC, RANCHI** के पदनाम से देय होगा, दिनांक 10.12.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक कार्यालय अवधि में प्लान्डू राँची में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नीलामी में भाग लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। नगद राशि किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं की जायेगी। डाक (अधिकतम बोली लगाने वाले) में सफल होने पर अग्रधन राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी। असफल डाकवक्ताओं को प्रतिभूति की राशि नीलामी के तुरन्त बाद वापस कर दी जायेगी।
3. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी को स्थगित/संशोधित या रद्द कर सकती है। इसके लिए किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है।
4. उच्चतम डाकवक्ता को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा। बाकी राशि दो दिनों के अंदर जमा करने के उपरान्त वाहन को ले जाने की अनुमति देय होगा। राशि नहीं जमा करने पर अग्रधन एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। वाहन की सुरक्षा सफल निविदाकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
5. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र (वोटर आईडी/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/बैंक एकाउंट) की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ राशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा तथा नीलामी के प्रक्रिया के दौरान उक्त पहचान पत्र मूल रूप में साथ रखना होगा। अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
6. नीलामी की प्रक्रिया गठित समिति के समक्ष की जाएगी। कोई विवाद होने पर समिति/प्रधान/निदेशक, भा०कृ०अनु०प० का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना का फैसला अंतिम एवं मान्य होगा।
7. नीलामी भा०कृ०अनु०प० का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृ०प्र०प०एवंप० अनु० केन्द्र प्लान्डू, राँची में की जायेगी।
8. नीलामी में इस केन्द्र के कोई भी अधिकारी/पदाधिकारी भाग नहीं ले सकते हैं।

  
23.11.2020  
प्र. सहायक प्रशासनिक अधिकारी